टिप्पणी / आदेश / स्वीकृति

उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद,
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, आजमगढ़

प्रशासकीय परिषद की 10वीं बैठक दिनांक 02 मार्च 2020 दिन सोमवार के सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित कार्यवृत्त पर अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद महोदय द्वारा संशोधनोपरान्त प्राप्त अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 06 पर सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

कृपया उक्त का अवलोकन करने एवं सहमति की दशा में हस्ताक्षर कर अनुमोदित करने की कृपा करें।

निदेशक/सचिव
प्रशासकीय परिषद
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
आजमगढ़

उपाध्यक्ष
प्रशासकीय परिषद
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
आजमगढ़

Scanned with CamScanner

From: Balkrishna Tharad
Sent: Sunday, March 15, 2020 1:30 PM
To: office@gecazamgarh.ac.in
Subject: Revised and approved draft of 10th BoG Meeting Minutes.

--

From :
Balkrishna Tharad (B.E.)
M/s Balkrishna Udyog
Plot No. B-6/7,
Industrial Estate, Narai Bandh
Mau-275101 (U.P.) INDIA
Cell: +91 9919164856
Email: balajichaukhat@gmail.com
Website: www.balajichaukhat.com

प्रशासकीय परिषद की दशम् बैठक का कार्यवृत्त

राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगाँव, जनपद-आजमगढ़ की प्रशासकीय परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 02 मार्च 2020, दिन सोमवार को अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद की अध्यक्षता में बोर्ड रूम, राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगाँव, जनपद-आजमगढ़ में सम्पन्न हुई।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

01.	श्री बालकृष्ण ठरड, अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद, राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगाँव, जनपद-आजमगढ़।	अध्यक्ष
02.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक, तकनीकी शिक्षा परिषद, वाराणसी मण्डल, वाराणसी। (उपाध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद द्वारा नामित)	सदस्य
03.	प्रो० जे० पी० पाण्डेय, निदेशक, कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर। (कुलपति, डा०ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा नामित)	सदस्य
04.	प्रो० रामजी अग्रवाल, एमेरिटस प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी०एच०यू०, वाराणसी।	सदस्य
05.	प्रो० मनोज कुमार मोण्डल, प्रोफसर, केमिकल इंजीनियरिंग विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी०एच०यू०, वाराणसी।	सदस्य
06.	डा० इफ्तखार अहमद, प्राचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक, आजमगढ़। (निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर द्वारा नामित)	सदस्य

अनुमोदित

07. प्रो० एस० पी० पाण्डेय सदस्य/सचिव
निदेशक
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
देवगॉव, जनपद-आजगढ.

बैठक में निम्न सदस्य अपरिहार्य/ व्यक्तिगत कारणों से बैठक में प्रतिभाग नही कर सके :-

01. प्रमुख सचिव, सदस्य
वित्त विभाग उ०प्र० शासन
सचिवालय, लखनऊ

02. निदेशक, सदस्य
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बी०एच०यू०)
वाराणसी

03. निदेशक, सदस्य
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
कानपुर

04. प्रो० दिनेश कुमार, कुलपति, सदस्य
वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी आफ साइन्स एण्ड टेक्नालाजी,
फरीदाबाद
(अभातषिप नई दिल्ली द्वारा नामित)

05. प्रो० जे०पी० सैनी, कुलपति, सदस्य
नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालाजी,
नई दिल्ली

06. प्रो० डी०के० सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सदस्य
यान्त्रिक अभियन्त्रण विभाग,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर

सर्वप्रथम निदेशक संस्थान द्वारा अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी। बैठक में परिषद द्वारा प्रस्तावित एजेंडा बिन्दुओं पर निम्नवत निर्णय लिये गये :-

10:01 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 25 सितम्बर 2019 को सम्पन्न अष्टम बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

प्रशासकीय परिषद द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2019 को सम्पन्न अष्टम बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करण निम्न संशोधन को समाहित किये जाने के उपरान्त पुष्टिकरण का अनुमोदन प्रदान किया गया :-

08:09 अन्य, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

08:09:01 संस्थान के वायलाज की व्यवस्था के अन्तर्गत निदेशक/सदस्य सचिव प्रशासकीय परिषद द्वारा विभिन्न विभागों के Panel of selection committee (गोपनीय) परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गयी परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए सूची पर हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित

08:09:01 उ०प्र० सरकार द्वारा जारी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित किये जाने के निर्देशों के अनुपालन में परिषद द्वारा शत-प्रतिशत रूप से निर्देशों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

10:02 प्रशासकीय परिषद की दिनांक 25 सितम्बर 2019 को सम्पन्न अष्टम बैठक में लिए निर्णयों पर कृत कार्यवाही की सूचना।

परिषद द्वारा, आठवीं बैठक के निर्णयों पर संस्थान द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया।

परिषद द्वारा बिन्दु 08.08 के अन्दर दिये गये निर्णय पर कार्यवाही नहीं किये जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया एवं पुनः 15 दिन के अन्दर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

10:03 टेक्विप योजना के अन्तर्गत अद्यतन गतिविधियों, प्रगति आख्या की परिषद को सूचना।

(क) परिषद द्वारा टेक्विप योजना के अन्तर्गत प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया।

(ख) परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सम्यक विचार उपरान्त सर्वसम्मति से छात्र-छात्राओं के द्वारा टेक्विप योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले शैक्षणिक एवं ट्रेनिंग से सम्बन्धित यात्रा एवं अन्य व्यय के सम्बन्ध में निम्न अनुसार अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।:-

I. छात्र-छात्राओं को रेल यात्रा के लिए ए०सी० तृतीय श्रेणी में यात्रा स्वीकृत की जाती है।

II. होटल के लिए अधिकतम रू० 1000.00 प्रतिदिन प्रति छात्र की अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाता है।

III. भोजन, नाश्ता आदि के लिए अधिकतम रू० 250.00 प्रतिदिन प्रति छात्र की अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाता है।

इसकी सूचना प्रशासकीय विभाग/प्राविधिक शिक्षा एवं विश्व बैंक को भी दे दी जाये।

(ग) परिषद द्वारा प्रस्ताव पर सहमति सहित कार्य को कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(घ) परिषद द्वारा प्रयुक्त विज्ञान एवं मानिविकी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ० अम्बरीश सिंह के द्वारा भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद में आहूत फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में के पंजीयन शुल्क का भुगतान के प्रस्ताव पर परिषद की चतुर्थ बैठक के मद संख्या 04.22 के अन्तर्गत निर्णय को बनाए रखने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

अनुमोदित

10:04 पं० दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार योजना के अन्तर्गत अद्यतन गतिविधियों, प्रगति आख्या की परिषद को सूचना।

परिषद योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों के सापेक्ष प्रगति से अवगत हुई एवं संतोष व्यक्त किया गया। निदेशक कार्यालय पर होने वाले कार्य का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से मिलान कर लिया जाय।

चर्चा के दौरान परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि निदेशक कक्ष में जो परिवर्तन किया जाये उसकी सहमति/अनुमोदन शासन के प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग से अवश्य ली जाये। क्योंकि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के प्रोजेक्ट को उक्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। किसी परिवर्तन का निर्णय शासन के उक्त विभाग के सहमति से लिया जाना चाहिए।

10:05 संस्थान के वित्तीय कार्यों हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालगंज आजमगढ़ में संचालित खाता संख्या 30819222308 से बोगस चेक के माध्यम से फ्राड निकासी की सूचना।

परिषद द्वारा संस्थान के प्रकरण में संस्थान स्तर से की गयी त्वरित कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया एवं प्रकरण पर त्वरित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

संस्थान के लेखा/अन्य विभागों में कोई भी नियमित स्टाफ न होने के कारण लेखा सम्बन्धी कार्यों में होने वाली कठिनाई के दृष्टिगत समस्त कार्य के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट के माध्यम से सेवांए प्राप्त की जाय तथा इसके लिए संस्थान की वित्त समिति के माध्यम से आवश्यक बजट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

विस्तृत चर्चा के समय अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान की रोकड़ बही परिषद के पटल पर मंगायी गयी। जो कई माह से अपूर्ण पायी गयी। जिसपर परिषद द्वारा प्रकरण को गम्भीर माना एवं असंतोष व्यक्त किया। रोकड़ मिलान की जिम्मेदारी सहायक कुल सचिव श्री विपिन महादेवन को निदेशक द्वारा दी गयी थी। जिसका निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया। संस्थान के जिस मोबाईल सिम से बैंक का लिंक खाता ब्लॉक हो गया था, उसे संस्थान हित में लिंक करा लिया जाये।

10:06 एन०बी०ए० प्रत्यायन में पूर्व वर्षों की आवश्यक प्रमुख सूचनाओं यथा प्लेसमेंट, टाइमटेबल, शिक्षकों की व्यक्तिगत पत्रावली आदि न उपलब्ध होने की सूचना।

परिषद उपरोक्त स्थिति से अवगत हुई।

10:07 संस्थान के पुरातन छात्रों के लिए एल्युमनाई एसोसिएशन की स्थापना की कार्यवाही हेतु बाईलाज का अवलोकन एवं अनुमोदन।

परिषद द्वारा बाईलाज पर तकनीकि कठिनाईयों के कारण इसपर विस्तृत अध्ययन करने का निर्णय लिया गया।

अनुमोदित

10:08 पुस्तकालय में छांत्र-छात्राओं के सुविधा के लिए प्रिंट एवं फोटोकापी सुविधा की दर निर्धारण एवं प्राप्त आय के उपयोग का नीति निर्धारण।

परिषद द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया एवं इसके आय-व्यय की नियमित देख-रेख के लिए प्रभारी पुस्तकालय को आदेशित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

10:09 संस्थान के शिक्षकों की नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौती आरम्भ किये जाने हेतु अनुमति।

परिषद द्वारा शिक्षकों के नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत कटौती न होने से होने वाले उनके अंशदान के नुकसानों के दृष्टिगत संस्थान के बचत श्रोतों से नियोक्ता अंशदान का भुगतान किये जाने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ किया गया कि इसका शासकीय अनुदान प्राप्त होने के साथ समाधान कर लिया जाय। इसके लिए संस्थान की वित्त समिति से बजट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

10:10 टेस्टिंग एवं कन्सल्टैन्सी हेतु नियमावली पर विचार एवं अनुमोदन।

परिषद के द्वारा शासकीय स्तर पर उक्त के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार आई०ई०टी० लखनऊ में प्रचलित टेस्टिंग एवं कन्सल्टैन्सी नियमों को अंगीकार किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। टेस्टिंग एवं कन्सल्टैन्सी की दरों के निर्धारण हेतु निदेशक राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज आजमगढ़ को अधिकृत किया गया।

10:11 केयर प्रयोगशाला की स्थापना की स्थिति की सूचना।

परिषद केयर प्रयोगशाला की स्थापना की प्रगति से अवगत हुई।

10:12 केन्द्रीय क्रय समिति की बैठक की सूचना।

परिषद द्वारा केन्द्रीय क्रय समिति प्रस्तावित बैठकों के कार्यवृत्त का औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

10:13 सुश्री स्तुति मौर्या, सहायक आचार्य, जनपदीय अभि० विभाग के लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० में चयन के क्रम में दिये गये 02 वर्ष के धारणाधिकार (Lien) सहित कार्यमुक्त किये जाने के प्रार्थना-पत्र दिनांक पर विचार एवं अनुमोदन।

परिषद द्वारा सुश्री स्तुति मौर्या, सहायक आचार्य के प्रार्थना-पत्र का अवलाके न किया गया।

परिषद द्वारा सोसाईटी-बाईलाज एवं शासकीय नियमों के अन्तर्गत एवं पदों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लेते हुए प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया।

10:14 अन्य, अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद महोदय की अनुमति से।

10:14:01 प्रशासकीय परिषद की 9वीं बैठक के निरस्त होने की सूचना।

अनुमोदित

संस्थान के मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएशन एवं सोसाईटी रूल की धारा 19 के अनुसार समय से कार्यसूची प्रस्तुत न किये जाने के कारण बैठक स्थगित की गयी। परिषद उपरोक्त सूचना से अवगत हुई।

10:14:02 संस्थान द्वारा अब तक किये गये टेस्टिंग एवं कन्सल्टैन्सी कार्यों की कार्येत्तर स्वीकृति।

इसको प्रशासकीय परिषद से कोई कार्येत्तर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, केवल इसकी सूचना उपलब्ध करायी जाय। परिषद सूचना से अवगत हुयी। आय-व्यय संस्थान के बजट में दर्शाया जायेगा।

10:14:03 संस्थान में कार्यरत शिक्षकों के दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरान्त परीवीक्षा अवधि समाप्त कर सेवा नियमित किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

परिषद द्वारा शिक्षकों के पदों के स्थायीकरण पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। पत्र का ड्राफ्ट कुलपति, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा नामित सदस्य प्रो० जे०पी० पाण्डेय निदेशक कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी सुल्तानपुर एवं प्रो० रामजी अग्रवाल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बी०एच०यू०, वाराणसी से सुझाव प्राप्त कर तैयार किया जायेगा।

10:14:04 कार्यवृत्ति के पुष्टीकरण में यह संज्ञान में आया कि उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम को विधिक सूचना पर कार्यवाही नहीं की गयी। इस उत्तर दायित्व का निर्वहन डा० पी०के० श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष एप्लाईड साईंस एवं श्री विपिन महादेवन कार्यवाहक कुल सचिव/सहायक आचार्य सिविल इंजीनियरिंग नही किया तथा रोकड़ बही का मिलान श्री विपिन महादेवन द्वारा नहीं किया गया था। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री विपिन महादेवन के सहायक आचार्य के मूल दायित्व के अतिरिक्त सभी दायित्वों को समाप्त करने तथा भविष्य में उन्हें कोई अतिरिक्त दायित्व न दिये जाने का निर्णय अध्यक्ष महोदय नें परिषद के समक्ष रखा, जिसपर सबकी सहमति थी।

बैठक अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुयी।

(प्रो० एस० पी० पाण्डेय)
सदस्य/सचिव
प्रशासकीय परिषद
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
देवगॉव, जनपद-आजमगढ़

(बालकृष्ण ठरड)
अध्यक्ष
प्रशासकीय परिषद
राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज
देवगॉव, जनपद-आजमगढ़

अनुमोदित